प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
   उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–21फ/सं0रो0/स्वाइन फ्लू/2015/730 दिनांक 16.2.2015

विषयः स्वाईन फ्लू रोग (इन्फ्लुएन्जा–ए–एच1एन1) की रोकथाम से सम्बन्धित वैक्सीन आपातकालीन स्थिति में स्थानीय–क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

वर्तमान में प्रदेश के कतिपय जनपदों में स्वाईन फ्लू रोग से ग्रसित रोगी पाये जा रहे है। स्वाईन फ्लू रोग (इन्फ्लुएन्जा–ए–एच1एन1) की रोकथाम से सम्बन्धित वैक्सीन राज्य मुख्यालय स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध नही है। भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्तमान स्थिति में वैक्सीन मेडिकल सर्विस केयर प्रोवाइडर्स जैसे चिकित्सालयों में तैनात चिकित्साधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ तथा रैपिड रिस्पॉन्स टीम के सदस्यों जो इन्फलुएन्जा–एच1एन1 रोगियों के सम्पर्क में आ सकते है, को ही दी जानी है। आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा दी गयी गाइड लाइन के अनुसार ही इस वैक्सीन का उपयोग करें (छायाप्रति संलग्न)। भारत सरकार द्वारा प्राप्त करायी गयी वैक्सीन निर्माताओं की लिस्ट एवं क्रय–दर संलग्न है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद/चिकित्सालयों में यदि स्वाईन फ्लू **(इन्फ्लुएन्जा–ए–एच1एन1)** की वैक्सीन की आवश्यकता हो तो इसकी आपूर्ति आकस्मिकता की स्थिति में आवश्यकतानुसार स्थानीय–क्रय के रूप में करके उसका उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

निदेशक,
संचारी रोग/वी0बी0डी0,उ0प्र0

पत्रांकः–21फ/सं0रो0/स्वाइन फ्लू/2015/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5
3. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0, को महानिदेशक द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0
5. गार्ड फाइल।

निदेशक,
संचारी रोग/वी0बी0डी0,उ0प्र0

महत्वपूण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–21फ/सं0रो0/स्वाइन फ्लू/2015/703–04 दिनांक 15-2-, 2015

विषयः–स्वाईन फ्लू रोग (इन्फ्लुएन्जा–ए–एच1एन1) के उपचार से सम्बन्धित औषधि ओसेल्टामीवीर को आपातकालीन स्थिति में स्थानीय–क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

वर्तमान में प्रदेश के कतिपय जनपदों में स्वाईन फ्लू रोग से ग्रसित रोगी पाये जा रहे है। पूर्व में आपको मुख्यालय स्तर से तथा भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की गयी औषधि प्राप्त करायी जाती रही है। वर्तमान में स्वाईन फ्लू रोग (इन्फलुएन्जा–ए–एच1एन1) के उपचार से सम्बन्धित औषधि ओसेल्टामीवीर का क्रय किया जाना मुख्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है तथा फर्म द्वारा इसकी आपूर्ति होने में कुछ समय लग सकता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद/चिकित्सालयों में यदि स्वाईन फ्लू **(इन्फ्लुएन्जा–ए–एच1एन1)** की औषधि ओसेल्टामीवीर की आवश्यकता हो तो इसकी आपूर्ति आवश्यकतानुसार स्थानीय–क्रय के रूप में किया जाना सुनिश्चित कर लें।

भवदीय

निदेशक,
संचारी रोग/वी0बी0डी0,उ0प्र0

पत्रांकः–21फ/सं0रो0/स्वाइन फ्लू/2015/705–09 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5
3. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

निदेशक,
संचारी रोग/वी0बी0डी0,उ0प्र0